"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2023—ज्येष्ठ 12, शक 1945

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्रमांक ई 7-01/2022/एक-2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 06-02-2023 द्वारा सुश्री जयश्री जैन, भा.प्र.से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बिलासपुर को दिनांक 13-02-2023 से 28-04-2023 तक कुल 75 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 13-02-2023 से 02-04-2023 तक कुल 49 दिवस का संतान पालन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11 एवं 12 फरवरी, 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वेष घृतलहरे, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 अप्रैल 2023

विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2023 का सूचना तथा कार्यक्रम

क्रमांक एफ-09-58/गृह-सी/परीक्षा/2023.—छत्तीसगढ़ शासन के उन अधिकारियों के लिए (जिनके लिये विभागों द्वारा विभागीय परीक्षा निर्धारित की गई हो) विभागीय परीक्षा माह अगस्त-2023, दिनांक 01 अगस्त, 2023 से दिनांक 08 अगस्त 2023 तक रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर (जगदलपुर) तथा सरगुजा (अंबिकापुर) संभाग के आयुक्तों द्वारा नियत किये जाने वाले स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रमों के अनुसार होगी. नीचे सूची में दर्शाये अनुसार संबंधित विभाग/विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष अपनी जानकारी उपरोक्तानुसार अपने परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को उपलब्ध करायें.

मंगलवार, दिनांक 01-08-2023

क्रमांक (1)	प्रश्न पत्र (2)	समय (3)
1.	प्रथम प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि. भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
2.	प्रश्न पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया (केवल अधिनियम तथा नियम की पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
3.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), उत्पादन शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
4.	प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (केवल नियमों की पुस्तकों सहित), विक्रय कर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
5.	प्रथम प्रश्न पत्र-सहकारिता (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
59.	Paper-1, "Electrical Laws (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	मंगलवार, दिनांक 01-08-2023	
6.	द्वितीय प्रश्न पत्र-दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया, दाण्डिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना, सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
7.	दूसरा प्रश्न पत्र-सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
8.	प्रश्न पत्र-समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
60.	Paper-2, "Earthing and Electrical Safety (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	

बुधवार, दिनांक 02-08-2023

(1)	(2)	(3)
9.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-"ए" आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
10.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया "भाग-बी" (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
11.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया "भाग-सी" (बिना पुस्तकों के) सा.प्र.वि., भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिये.	
12.	प्रश्न पत्र-उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम, उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
13.	प्रश्न पत्र-खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
14.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
61.	Paper-3, "Electrical Installation (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
66.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा, (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	
	बुधवार, दिनांक 02-08-2023	
15.	दूसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सा.प्र.वि., राजस्व विभाग, भू-अभिलेख तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
16.	प्रश्न पत्र-प्रक्रिया विकास योजनाओं राज्यों के साधनों राज्य के नियम पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
17.	तीसरा प्रश्न पत्र-बैंकिंग (बिना पुस्तकों के), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
18.	प्रश्न पत्र-समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
19.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
62.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-लेखा व स्थापना (बिना पुस्तकों के), ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
67.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा, (पुस्तकों सहित), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 03-08-2023

(1)	(2)	(3)
20.	तीसरा प्रश्न पत्र-प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया (राजस्व मामले में आदेश का लिखा जाना), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
21.	प्रश्न पत्र-पुस्तपालन तथा कर निर्धारण (पुस्तकों सहित), विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
22.	प्रथम प्रश्न पत्र-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
23.	प्रथम प्रश्न पत्र-प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
24.	प्रश्न पत्र-"व्यावहारिक शाखा" (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए	
63.	Paper-5 "Switch gear and Protection (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
68.	तृतीय प्रश्न पत्र-महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	

गुरूवार, दिनांक 03-08-2023

25.	प्रश्न पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया, विक्रयकर विभाग के अधिकारियों के लिये.	
26.	प्रश्न पत्र-सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	
27.	प्रश्न पत्र-"पुलिस शाखा" (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए.	
28.	दूसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
29.	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन क्षेत्रपालों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
30.	प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के), पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.	
31.	चौथा प्रश्न पत्र-सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा एवं भाग-2, सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	
32.	प्रश्न पत्र-समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
64.	Paper-6, "Insulation Co-ordination & Hazardous Areas (Without Books)", ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
69.	चतुर्थ प्रश्न पत्र-बाल संरक्षण, देखभाल, कल्याण एवं विकास (बिना पुस्तकों के), सहायक संचालक संवर्ग, बाल विकास परियोजना एवं तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (पर्यवेक्षक इत्यादि) अधिकारियों के लिये.	

शुक्रवार, दिनांक 04-08-2023

(1)	(2)	(3)
33.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सा.प्र.वि., राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	
34.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
35.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
36.	प्रश्न पत्र-न्यायिक शाखा (बिना पुस्तकों के), पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये.	
37.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उत्पाद शुल्क/आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
38.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.	
39.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	
40.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शुक्रवार, दिनांक 04-08-2023	
41.	प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
42.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों, सा.प्र.वि., भू-अभिलेख तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
43.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
44.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	शनिवार दिनांक 05-08-2023 एवं रविवार दिनांक 06-08-2023 को शासकीय अवकाश	
	सोमवार, दिनांक 07-08-2023	
45.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
46.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
47.	प्रथम प्रश्न पत्र-लेखा (पुस्तकों सहित), कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
48.	प्रथम प्रश्न पत्र-विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के), डेयरी विभाग के अधिकारियों के लिये.	

(1)	(2)	(3)
49.	द्वितीय प्रश्न पत्र-छत्तीसगढ़ मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
50.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), वन क्षेत्रपालों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
65.	प्रश्न पत्र-पंचायत राज प्रशासन (विधि तथा प्रक्रिया), सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, अधीक्षक भू-अभिलेख, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला कार्यालय के अधीक्षक, ग्रामीण विकास विभाग के विकास खण्ड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक, क्षेत्र संयोजक, विकासखंड अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के लिये.	
	सोमवार, दिनांक 07-08-2023	
51.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), सिविल पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	
52.	प्रश्न पत्र-लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित), मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.	
53.	प्रश्नपत्र-किसी मामले में आदेश/प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा (पुस्तकों सहित), सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक.
54.	तृतीय प्रश्न पत्र-प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित), सहायक वन संरक्षकों के लिये.	
55.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा (बिना पुस्तकों के), कृषि कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	
56.	द्वितीय प्रश्न पत्र-लेखा तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित), डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.	
57.	तृतीय प्रश्न पत्र-अनु. जाति तथा आदिवासी (अनु. जन. जाति) विकास, (पुस्तकों सहित), जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	
	मंगलवार, दिनांक 08-08-2023	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक.
58.	प्रश्न पत्र-हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद, सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	

नोट :-

1. सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, राज्य के अधीनस्थ सिविल सेवाओं के सदस्य, भू-अभिलेख कर्मचारियों तथा कलेक्टरों और राजस्व आयुक्तों के कार्यालय के अधीक्षकों को सूचित किया जावे कि विभागीय परीक्षा गृह विभाग द्वारा नये संशोधित नियमों के अन्तर्गत प्रसारित अधिसूचना क्रमांक एफ 3-54/98/दो-ए (3) दिनांक 19-03-99 एवं एफ 3-102/90/दो-ए (3) के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी. नये नियमों के अन्तर्गत पंचायत राज प्रशासन विधि एवं प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न भी अनिवार्य रूप से रखा गया है.

2. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्न पत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तक लानी होगी.

3. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हो, अपना नाम उचित माध्यम से सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिए. यह भी स्पष्ट किया जावे कि परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का भी उल्लेख किया जावे.

4. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1/15/77/-1/ह.स.से दिनांक 15 जनवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. अत: ऐसे परीक्षार्थी तत्संबंध में अपना प्रमाण पत्र अपने संबंधित परीक्षा केन्द्र के आयुक्तों को प्रस्तुत करेंगे.

इन प्रमाण पत्रों को गृह-सी विभाग (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ) को नहीं भेजे जावें. संबंधित विभागाध्यक्ष/जिलाध्यक्ष/परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की आवेदन/सूची के साथ प्रमाण पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 30-06-2023 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से संबंधित परीक्षा केन्द्र आयुक्त को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

5. समस्त परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त होंगे, उसका शासन को भेजे जाने वाली सूची में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें.

6. परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान मोबाईल फोन, पेजर, स्मार्ट वॉच तथा किसी भी प्रकार के संचार साधन रखना पूर्णत: प्रतिबंधित है. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केन्द्र में कोई संचार साधन लाया जाता है तो उसे परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व पूर्णत: अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा कक्ष के बाहर रखना होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 7-03/2023/दो-गृह/भापुसे.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 21-03-2023 जिसके द्वारा श्री राजेश कुमार अग्रवाल, (भापुसे-2012), सेनानी, 11वीं वाहिनी, छसबल, जांजगीर-चांपा, छ.ग. को दिनांक 28-03-2023 से 03-04-2023 (कुल 07 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री अग्रवाल को उक्त अवकाश के स्थान पर दिनांक 27-03-2023 से 03-04-2023 (कुल 08 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. आदेश दिनांक 21-03-2023 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 8 मई 2023

क्रमांक एफ 7-04/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम.एल. कोटवानी, (भापुसे-2010), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को दिनांक 22 मई 2023 से 02 जून 2023 (कुल 12 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 20, 21 मई 2023 एवं 03, 04 जून 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कोटवानी आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कोटवानी को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कोटवानी (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री एम.एल.कोटवानी (भापुसे-2010), सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री तारकेश्वर पटेल, (रापुसे), सहायक पुलिस महानिरीक्षक (गुप्तावार्ता), पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 मई 2023

क्रमांक एफ 7-11/2022/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री मयंक गुर्जर, (भापुसे-2020), नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 09 मई 2023 से 19 मई 2023 (कुल 11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश/Ex-India Leave की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुर्जर आगामी आदेश तक नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री गुर्जर को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गुर्जर (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री मयंक गुर्जर, (भापुसे-2020), नगर पुलिस अधीक्षक, आजाद चौक रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री योगेश कुमार साहू (रापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक, कोतवाली रायपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2023

क्रमांक एफ 7-04/2018/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री त्रिलोक बंसल (भापुसे-2016), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया, छ.ग. को दिनांक 09 मई 2023 से 19 मई 2023 (कुल 11 दिवस) तक का अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है. साथ ही दिनांक 20 एवं 21 मई 2023 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बंसल आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री बंसल को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बंसल (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री त्रिलोक बंसल (भापुसे-2016), पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री तिलक राम कोशिमा, (भापुसे-2011), पुलिस अधीक्षक, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमिन बाघे, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 11-01/2023/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित संस्था को किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है :—

क्र.	संस्था का नाम	डाक का पूरा पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
1	शासकीय विशेष गृह	नूतन चौक, इंदिरा विहार गेट के पास, नया सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग)	बिलासपुर	शासकीय विशेष गृह (बालक)	25	—	07/BSP/21-22
2	शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी	नूतन चौक, इंदिरा विहार गेट के पास, नया सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ.ग)	बिलासपुर	शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक)	25	—	08/BSP/21-22

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 11-01/2023.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 27-03-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष

के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :—

क्र.	शासकीय संस्था / स्वैच्छिक संगठन का नाम / पता	बाल गृह का पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति अनुसार क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
1	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह	आड़ावाल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग)	बस्तर	सम्प्रेक्षण गृह (बालिका)	—	25	07/BSTR/16-17
2	शासकीय विशेष गृह	आड़ावाल, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग)	बस्तर	विशेष गृह (बालिका)	—	25	10/ BSTR/16-17
3	शासकीय विशेष गृह	वृन्दावन कॉलोनी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग)	बस्तर	विशेष गृह (बालक)	25	—	09/BSTR/16-17
4	शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी	वृन्दावन कॉलोनी, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग)	बस्तर	बालगृह (बालक)	25	—	08/BSTR/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 11-01/2023.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 25-10-2017 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 31-01-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष

के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :—

क्र.	शासकीय संस्था / स्वैच्छिक संगठन का नाम / पता	बाल गृह का पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन कमांक
					बालक	बालिका	
1	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह	नीलगिरि पार्क रोड़, वार्ड नं. 22, कक्कड़ आटो के सामने, राजनांदगांव	राजनांदगांव	सम्प्रेक्षण गृह (बालिका)	—	50	01/RJND/16-17
2	शासकीय विशेष गृह	नीलगिरि पार्क रोड़, वार्ड नं. 22, कक्कड़ आटो के सामने, राजनांदगांव	राजनांदगांव	विशेष गृह (बालिका)	—	25	02/RJND/16-17
3	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह	पी.टी.एस के पास, टी.टी.सी. कॉलोनी रोड़, वार्ड क्र. 14, माना कैम्प रायपुर (छ.ग)	रायपुर	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	100	—	01/RPR/16-17
4	शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी	सम्प्रेक्षण गृह परिसर, माना कैम्प, रायपुर (छ.ग)	रायपुर	प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक)	25	—	02/RPR/16-17
5	शासकीय बालगृह	खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर (छ.ग)	रायपुर	बालगृह (बालिका)	—	50	03/RPR/16-17
6	शासकीय बालगृह	पी.टी.एस मैदान के पास, टी.टी.सी. कॉलोनी रोड़, वार्ड क्र. 14, माना कैम्प रायपुर (छ.ग)	रायपुर	बालगृह (बालक)	50	—	04/RPR/16-17
7	एस.ओ.एस चिन्ड्रन विलेज	माना कैम्प, रायपुर (छ.ग)	रायपुर	बालगृह (बालक)	100	—	07/RPR/16-17
8	एस.ओ.एस चिन्ड्रन विलेज	माना कैम्प, रायपुर (छ.ग)	रायपुर	बालगृह (बालिका)	—	100	08/RPR/16-17
9	सूरज विकास संस्थान	देवांगन समाज भवन, आड़काछेपड़ा पारा, गांधी वार्ड, कोण्डागांव(छ.ग)	कोण्डागांव	बालगृह (बालक)	50	—	01/KDGO/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 11-01/2023.—छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 25-10-2017 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए पंजीयन का नवीनीकरण करता है :—

क्र.	शासकीय संस्था/स्वैच्छिक संगठन का नाम/पता	बाल गृह का पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
1	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह	वृंदावन कॉलोनी, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग)	बस्तर	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	—	03/BSTR/16-17
2	शासकीय बाल गृह	वृंदावन कॉलोनी, जगदलपुर, बस्तर (छ.ग)	बस्तर	बालगृह (बालक)	50	—	04/BSTR/16-17
3	शासकीय बाल सम्प्रेक्षण गृह	पंजरी प्लांट, जिला—रायगढ़, (छ. ग)	रायगढ़	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	—	01/RIG/16-17
4	शासकीय बालगृह	नूतन कॉलोनी चौक, सरकंडा, बिलासपुर , (छ.ग)	बिलासपुर	बालगृह (बालिका)	—	50	02/BSP/16-17
5	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह	नूतन कॉलोनी चौक, सरकंडा, बिलासपुर , (छ.ग)	बिलासपुर	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	100	—	03/BSP/16-17
6	समर्पित— गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र 37, गीतांजली एन्कलेव, रिंग रोड क्रमांक--2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग)	गोकुलधाम रोड़, अटल आवास के सामने, उसलापुर, जिला—बिलासपुर (छ.ग)	बिलासपुर	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	0	06/BSP/16-17
7	शासकीय बाल गृह	शिक्षक कॉलोनी, जिला—कवर्धा (छ.ग)	कबीरधाम	बालगृह (बालक)	50	—	01/KWRD/16-17
8	शासकीय बाल गृह	पांच बिल्डिग, वन परिसर, जिला—दुर्ग (छ.ग)	दुर्ग	बालगृह (बालक)	50	—	02/DURG/16-17

क्र.	शासकीय संस्था / स्वैच्छिक संगठन का नाम / पता	बाल गृह का पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		पंजीयन कमांक
					बालक	बालिका	
9	शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी	गोकुल नगर, पुलगांव , जिला–दुर्ग, (छ.ग)	दुर्ग	प्लेस ऑफ सेफ्टी (बालक)	25	–	03/DURG/16-17
10	शासकीय विशेष गृह	गोकुल नगर, पुलगांव , जिला–दुर्ग, (छ.ग)	दुर्ग	विशेष गृह (बालक)	25	–	04/DURG/16-17
11	शासकीय सम्प्रेक्षण गृह	गोकुल नगर, पुलगांव , दुर्ग	दुर्ग	सम्प्रेक्षण गृह (बालक)	50	–	05/DURG/16-17
12	समर्पित– गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र - 37, गीतांजली एन्कलेव, रिंग रोड़ क्रमांक–2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग)	भगत पेट्रोल पम्प के आगे, सन्ना रोड़, जशपुर नगर, जिला जशपुर, (छ. ग)	जशपुर	बालगृह (बालक)	50	–	01/JSPR/16-17
13	समर्पित– गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक अनुसंधान केन्द्र 37, गीतांजली एन्कलेव, रिंग रोड़ क्रमांक–2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग)	तपकरा, बाघरकोना, विष्णु बागान मार्ग, जशपुर नगर, जिला जशपुर,(छ.ग)	जशपुर	बालगृह (बालिका)	–	50	02/JSPR/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्रमांक एफ 20-10/2007/11/(6).—सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 की धारा-20 सहपठित धारा-21 एवं छत्तीसगढ़ सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम, 2017 के नियम-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् दिनांक 22 दिसंबर, 2021 की अधिसूचना द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन किया गया है.

2. उक्त काउंसिल के सरल क्रमांक-4 पर उल्लेखित श्री राम गिडलानी, रायपुर द्वारा सदस्य पद से त्यागपत्र दिये जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री के. के. झा, महासचिव, छत्तीसगढ़ उद्योग संघ, भिलाई, जिला-दुर्ग को सदस्य नियुक्त किया जाता है.

3. अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत रहेंगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 मई 2023

क्रमांक एफ 20-10/2022/11/6.—राज्य शासन एतद्द्वारा जिला-महासमुन्द के ग्राम-बिरकोनी, में विकसित एकीकृत औद्योगिक विकास केन्द्र (IIDC) बिरकोनी जिला-महासमुन्द को राज्य शासन द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करता है, औद्योगिक क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है :—

ग्राम का नाम (1)	अनुक्रमांक (2)	खसरा नम्बर (3)	रकबा (हेक्टेयर में) (4)
ग्राम-बिरकोनी	1.	1442	10.44
	2.	1443	0.12
	3.	1444	0.03
	4.	1445	1.15
	5.	2001	3.07
	6.	2003	0.76
	7.	2007	0.23
	8.	2008	0.04
	9.	2011	0.50
	10.	2012	4.08
	11.	2014	8.02
	12.	2016	1.13
	13.	2017	1.05
	14.	2020	5.59
	15.	2405	23.86
	16.	2407	27.05
	17.	2418	3.80
	18.	2433	5.50
		कुल रकबा	**96.42**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 मई 2023

क्रमांक एफ 1-23/2022/कौ.वि./42.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्राचार्य वर्ग-1 के पद पर वेतनमान रुपये मैट्रिक्स लेवल-13 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश

तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया जाता है :—

स.क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम एवं पता (2)	प्रवर्ग (3)	पदस्थापना स्थल (4)
1	श्री ईश्वरी प्रसाद साहू, पिता श्री जीवन लाल साहू, ग्राम व पोस्ट-देवरी, तहसील-धमधा जिला-दुर्ग, पिन-491331	अ.पि.वर्ग	उप संचालक पद पर संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, नवा रायपुर

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(1) इनकी नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर होगी. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3, दिनांक 28-07-2020 के प्रावधान अनुसार चयनित अभ्यर्थी को परिवीक्षा अवधि में प्रथम वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत स्टायपेण्ड देय होगा, परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(2) उपर्युक्त नियुक्तियां छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2013 सहपठित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 से शासित होगी.

(3) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(4) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थायी तथा अर्द्धस्थायी) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेंगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(5) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(6) चयनित अभ्यर्थी को चिकित्सा बोर्ड का चिकित्सकीय (मेडिकल) योग्यता प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(7) उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेखा साहू, अवर सचिव.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक/1761/एफ-11/06/2022/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 5 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्र. डी-15/39/88/14-3, दिनांक 29-03-1990 द्वारा घोषित कृषि उपज मंडी समिति, सूरजपुर के मण्डी क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित स्थान, जिसमें संरचना, अहाता, खुला स्थान

या परिक्षेत्र सम्मिलित है, को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से उप-मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

ग्राम पंचायत सिलफिली, तहसील लटोरी, जिला-सूरजपुर (छ.ग.) में स्थित खसरा नं. 542/1 की लगभग 1.14 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र, जिसकी सीमाएं निम्नानुसार है :—

उत्तर में	—	बुलाकी बाई बेवा मोहरसाय
दक्षिण में	—	सी.एस.ई.बी.
पूर्व में	—	राजकुमार आ. रामजीत
पश्चिम में	—	सड़क (लटोरी का मुख्य मार्ग)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक/1761/एफ-11/06/2022/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1761/रायपुर, दिनांक 21-04-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, the 21st April 2023

No./1761/F-11/06/2022/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, declares that with effect from the date of its publication in the official Gazette, the following Place Including any structure, enclosures open place or locality shall be sub-market yard in the market area of Krishi Upaj Mandi Samiti Surajpur declared vide this department notification No. 15/39/88/14-3, date 29-03-1990, namely :—

PLACE

An area of about 1.14 Hectare land of Khasra No. 542/1 situated at Gram Panchayat Silphili, Tahsil Latori, District Surajpur (C.G.), whose limits are as follows :—

On of North by	—	Bulaki Bai Bewa Moharsai
On of South by	—	CSEB
On East by	—	Rajkumar S/o Ramjeet
On of West by	—	Road (Main Road of Latori)

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2023

क्रमांक/415/202202031200037/भू-अर्जन/अ-82/2020-21.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आमगांव प.ह.नं. 20 शासकीय भूमि	8.128 7.835	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	आमगांव जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2023

क्रमांक/416/भू-अर्जन/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	बुमतेल	0.232	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	डुमरटोली एनीकट (स्टापडेम) योजना शीर्ष कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2023

क्रमांक/417/202203031200035/भू-अर्जन/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आस्ता प.ह.नं. 5	5.975	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2023

क्रमांक/418/202203031200038/भू-अर्जन/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	आस्ता प.ह.नं. 5	3.182	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	सरडीह जलाशय योजना.
		शासकीय भूमि	1.523		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2023

क्रमांक/419/202203031200036/भू-अर्जन/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	मनोरा	खरसोता प.ह.नं. 15 शासकीय भूमि	0.329 0.633	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, जशपुर.	डुमरटोली एनीकट (स्टापडेम) शीर्ष कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 19 अप्रैल 2023

क्रमांक 112/क/कले./भू-अर्जन/5 अ-82 वर्ष 2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	देवसराल प.ह.नं. 44 रा.नि.मं. सांकरा	3.25	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	लोवर जोंक बैराज योजना अन्तर्गत देवसराल माईनर सब माईनर एवं सानटेमरी शाखा नहर निर्माण कार्य हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्रमांक 113/क/कले./भू-अर्जन/4 अ-82 वर्ष 2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	बिजेपुर प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. सांकरा	0.62	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	लोवर जोंक बैराज योजना दांयी तट नहर निर्माण अन्तर्गत उतेकेल माईनर निर्माण कार्य हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक 117/क/कले./भू-अर्जन/01 अ-82 वर्ष 2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	सागुनढांप टूकड़ा राजाकटेल	0.22	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	लोवर जोंक बैराज योजना के नहर निर्माण हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्रमांक 118/क/कले./भू-अर्जन/6 अ-82 वर्ष 2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12(2) के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	पिथौरा	सांकरा प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. सांकरा	0.03	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द.	लोवर जोंक बैराज योजना सांकरा माईनर निर्माण कार्य हेतु अर्जित भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पिथौरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलेश कुमार क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्रमांक/641/अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	मर्दापाल	मुलनार	1.893	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम - लखापुरी से मुलनार मार्ग के कि.मी. 1/6 भंवरडीह नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्रमांक/642/अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	मर्दापाल	लखापुरी	9.470	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम - लखापुरी से मुलनार मार्ग के कि.मी. 1/6 भंवरडीह नदी पर उच्चस्तरीय पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोण्डागांव, दिनांक 29 मार्च 2023

क्रमांक/968/अ-82/2021-22/भू-अर्जन/2023 .—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	कोण्डागांव	बयानार	1.929	अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम - बुनागांव से बयानार मार्ग के कि.मी.15/6 भंवरडीह नदी पर सेतुमय पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कांकेर, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक/202202141400011/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	कांकेर	मोहपुर प.ह.नं. 28	0.37	कार्यपालन, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण कांकेर.	हटकुल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी, कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंका शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 8 मई 2023

क्रमांक/2348/2023.—यत: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारी की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

अतएव, छ.ग. भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कालम (2) में दर्शित ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक नवीन राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :—

क्र.	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हे. में)	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की सीमाएं	प.ह.नं.	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील का नाम	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	खुड़िया	398.530	उत्तर - ग्राम बिजराकछार दक्षिण - ग्राम कारीडोंगरी पूर्व - ग्राम बहाउड़ पश्चिम - ग्राम दुल्लापुर	65	खुड़िया	लोरमी	मुंगेली

No./2348/2023.—Whereas, Section 90 read with Section 73 of the C.G. Land Revenue Code. 1959 (No. 20 of 1959), the powers of settlement officers relating to consitution of revenue village have been vested.

Therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code. 1959 (No. 20 of 1959), it is, hereby, declare that village shown in column (2) of schedule below shall be a new revenue village from the date of this notification, namely:—

No.	Name of Village	Total area of village (in he.)	Boundaries of village	P.H.N.	Name of gram panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Khudiya	398.530	North - Village Bijrakachhar South - Village Kaaridongari East - Village Bahaud West - Village Dullapur	65	Khudiya	Lormi	Mungeli

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल देव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बस्तर, दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-लोहण्डीगुडा
- (ग) नगर/ग्राम-गढ़िया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.55 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1822	0.07
1818	0.06
1821	0.03
1782	0.05
1784	0.49
1792	0.20
1785	0.14
1712	0.18
1744	0.34
1745	0.18
1746	0.01
1716	0.14
1711/2	0.06
987	0.09
1117	0.18
1116	0.10
1115	0.06
1013/4	0.17
1013/5	0.02
1105/2	0.11
1105/1	0.02
1105/5	0.15
1131	0.11
1104	0.02
1132	0.10
1138	0.08
1137	0.02
1139	0.04
1148	0.18

(1)	(2)
1216	0.22
1140	0.14
1147	0.08
1200	0.15
1215	0.02
1218	0.14
1231/5	0.13
1231/2	0.08
1233	0.04
1234	0.15
योग	4.55

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मुंडीगुडा गढिया व्यपवर्तन योजना अन्तर्गत नहर नाली निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, लोहण्डीगुडा जिला बस्तर/ कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चंदन कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–गरियाबंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 18 अप्रैल 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110222000119/अ-82/वर्ष 2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला–गरियाबंद
(ख) तहसील–छुरा
(ग) नगर/ग्राम–मड़ेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1741/1	0.07
1749	0.07
योग 02	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मड़ेली-जरगांव मार्ग के घुनघुटी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरा जिला–गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 18 अप्रैल 2023

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202110222000120/अ-82/वर्ष 2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला–गरियाबंद
(ख) तहसील–छुरा
(ग) नगर/ग्राम–जरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल–0.04 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
63	0.01
64	0.03
योग 02	0.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–मड़ेली–जरगांव मार्ग के घुनघुटी नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), छुरा जिला–गरियाबंद (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात मलिक, कलेक्टर एवं पदेन उप–सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला–सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 1 मई 2023

क्रमांक/1336/भू–अर्जन/09/अ–82/2017–18.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन–
- (क) जिला–सूरजपुर
- (ख) तहसील–रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम–छिन्दिया, प.ह.नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल–5603 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
(1)	(2)
1768	12
1905/1	12
1479/2, 253	40
1895, 1889, 1882	470
1883, 1887, 1308	480
1228	50
132	24
1299	28
1644	496
1769	36
1870	56
1798, 1871	55
1908, 1846, 1857	96
1215, 1425	475
1218, 1642	122
1471, 1641	450
1605, 1907	80
1310, 1603	34
1424	18
1800	30
1904	18
1852	120
1311, 1479	78
1900	276
1604	264
1478	36
1869	24
1309	36
1209/7	10
1613/2	6
1871	14
1834, 1849, 1855	195
1867	46
1875	480
1468, 1858	132
1470	52
1884, 1886	460
1300	68
1636, 1646	80
1312	90
1907	54
योग	5603

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–तारा–प्रेमनगर–रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 1 मई 2023

क्रमांक/1337/भू-अर्जन/05/अ-82/2017-18.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-रामानुजनगर
- (ग) नगर/ग्राम-रामानुजनगर, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-581 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्गमीटर में)
	(1)	(2)
	297/1	280
	297/3	50
	300	8
	297/2	225
	297/4	18
योग		581

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-तारा-प्रेमनगर-रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयनीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्पलेक्स, प्रथम तल ब्लॉक-A, एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक/52/04/योजना/बीओसी/2022/127.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "विशेष शिक्षा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 66 दिनांक 10-07-2018 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :—

(क) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "विशेष शिक्षा सहायता योजना" होगा.

2. योजना के तहत् ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनकी मृत्यु पंजीयन से 01 वर्ष पश्चात् होती है, तो मंडल उनके प्रथम 02 संतान हेतु विशेष पंजीयन कार्ड जारी करेगा तथा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना/मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना/तकनीकी शिक्षा योजना के समस्त प्रावधानों का लाभ पात्रतानुसार मृतक के प्रथम 02 संतानों को दिया जावेगा.

3. योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ख) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के ऐसे (पुत्र-पुत्री) जिनके (माता-पिता) दोनों की मृत्यु हो चुकी है एवं मृतक (माता-पिता) में से कोई भी मंडल अंतर्गत न्यूनतम 01 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत रहा हो योजनांतर्गत पात्र होंगे.

2. योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रथम 02 संतानों को लाभ की पात्रता होगी.

3. मृतक श्रमिक के अतिरिक्त परिवार (माता-पिता) में कोई और पंजीकृत श्रमिक होने पर बच्चों को इस योजना की पात्रता नहीं होगी.

(ग) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजनांतर्गत पंजीकृत माता/पिता के मृत्यु दिनांक से 01 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा.

2. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा, आवेदन स्वीकृति उपरांत मृतक श्रमिक के बच्चों हेतु अलग-अलग दो विशेष श्रमिक पंजीयन कार्ड जारी किया जावेगा.

3. आवेदक स्वयं अथवा च्वाईज सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

4. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :—

4.1 माता अथवा पिता में से किसी एक हितग्रही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति.

4.2 आवेदक के आधार कार्ड की प्रति.

4.3 आवेदक के बैंक पास बुक की प्रति.

4.4 लाभार्थी का फोटो.

4.5 आवेदक का स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति. (आवेदक से तात्पर्य मृतक निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री से है.)

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

(घ) **स्वीकृति का अधिकार :—** पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(ङ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक के खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जावेगा.

(च) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(छ) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक/55/04/योजना/बीओसी/2022/128.— छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मंडल द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 38 दिनांक 07-10-2015 एवं अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 18-02-2016 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित "निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना" को वर्तमान में मंडल में संचालित "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" के संचालन के कारण छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 16वीं बैठक दिनांक 04-08-2022 में लिए गए निर्णय के परिपालन में "निर्माण मजदूर जीवन ज्योति बीमा योजना" इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 129/2022.— भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09-06-2020 के कण्डिका (घ) योजना की पात्रता में निम्नानुसार संशोधन करती है :—

योजना का नाम :— "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(घ) **योजना की पात्रता :—**

6. ऐसे हिताधिकारी जो अधिसूचना अंतर्गत निर्धारित पात्रता को पूर्ण करते हो, को मृत्यु की दशा में योजनांतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु पंजीयन नवीनीकरण में 90 दिवस की छूट प्रदान की जावेगी को सम्मिलित करता है.

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/130.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "मिनीमाता महतारी जतन योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25-11-2021 के कण्डिका (ख) के उपबिन्दु (1) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन अंत: स्थापित किया जाता है :—

मिनीमाता महतारी योजना :—

(ख) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य है, के स्थान पर "बच्चे के जन्म के 90 दिवस पूर्व पंजीयन होना अनिवार्य होगा" अंत: स्थापित किया जाता है.

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक/64/04/योजना/बीओसी/2022/131.—छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी श्रम विभागीय पत्र क्रमांक/25/अ.मु.स./श्रम/2015 दिनांक 15-05-2015 एवं मंडल द्वारा जारी आदेश क्रमांक CGBOC/2015 दिनांक 15-05-2015 द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए संचालित "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" को वर्तमान में मंडल में संचालित "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" के संचालन के कारण छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के संचालक मंडल की 16 वीं बैठक दिनांक 04-08-2022 में लिए गए निर्णय के परिपालन में "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से समाप्त किया जाता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्रमांक/68/04/योजना/बीओसी/2022/132.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—** छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायक सामग्री जैसे-गणवेश एवं लेखन सामग्री की पूर्ति के उद्देश्य से सहायता स्वरूप राशि दी जावेगी.

(ग) **योजना का प्रावधान :—**

1. यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो.

2. योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के प्रथम 2 बच्चों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

(घ) **योजना में देय हितलाभ :—**

1. प्रत्येक कक्षा व पाठ्यक्रम के समक्ष उल्लेखित अनुरूप शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु प्रस्तावित देय सहायता राशि एक मुश्त देय होगी.

क्र.	कक्षा	शाला गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु प्रस्तावित देय सहायता राशि
1	कक्षा 01 से 08 तक	रु. 1,000
2	कक्षा 9वीं से 12वीं तक	रु. 2,000

(ङ) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक देय छात्रवृत्ति के लिए पात्र श्रमिक के बच्चे योजनांतर्गत पात्र होंगे.

2. योजना के लाभ हेतु अंकों की बाध्यता नहीं होगी.

(च) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजनांतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

2. योजना के तहत् मंडल अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति उपरांत स्वीकृत आवेदन निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क गणवेश एवं लेखन सामग्री हेतु सहायता योजना हेतु स्वत: लाभान्वित होंगे.

(छ) **स्वीकृति का अधिकार :—** पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उप निरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(ज) **भुगतान की प्रक्रिया :—** योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए हितग्राही/उनके पुत्र पुत्रियों के खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि स्थानांतरित किया जावेगा.

(झ) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(ञ) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्रमांक/59/04/योजना/बीओसी/2022/133.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "सिलिकोसिस से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 36 दिनांक 26-09-2015 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार संशोधित अधिसूचना जारी करती है :—

(क.) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता योजना" होगा.

2. छत्तीसगढ़ राज्य के वे निर्माण श्रमिक तथा उनके परिवारजन जिनमें सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि हुई हो इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने हेतु पात्र होंगे.

3. इस योजना का लाभ छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उनके अधीन अधिसूचित सभी प्रकार के निर्माण श्रमिकों के प्रवर्गों में कार्यरत् श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा.

4. यह योजना सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों के लिए आर्थिक एवं पुनर्वास सहायता के रूप में होगी तथा सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अथवा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत् मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी.

(ख.) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उनके अधीन अधिसूचित श्रमिक प्रवर्गों को इस योजना का लाभ दिया जावेगा. ऐसे निर्माण श्रमिक जो छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा अधिसूचित प्रवर्ग के हो पंजीकृत नहीं होने पर भी मंडल अंतर्गत अधिसूचित प्रवर्गों में उनका पंजीयन कर योजना का लाभ दिया जा सकेगा.

2. इस योजना के लाभ हेतु सक्षम चिकित्सक यथा शासकीय मेडिकल कॉलेज अथवा जिला अस्पतालों में कार्यरत चेस्ट एवं टी.बी. रोग विशेषज्ञ चिकित्सक/पंडित जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर की व्यवसायजन्य रोग निदान समिति/कर्मचारी राज्य बीमा सेवाएं के बीमा चिकित्सा पदाधिकारी (प्रमाणक शल्यज्ञ)/उप संचालक (चिकित्सा) अथवा सहायक संचालक (चिकित्सा) औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा (श्रम विभाग) उक्त में कोई एक द्वारा श्रमिक को सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि किया जाना आवश्यक होगा.

(ग.) **योजना में देय हितलाभ :—**

1. **आर्थिक सहायता :—** योजना के अंतर्गत रुपये 3,00,000/- (अक्षरी तीन लाख रु.) प्रदाय किया जावेगा, जिसमें से राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी एक लाख रु.) हितग्राही/हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों के खाते में स्थानांतरित किया जावेगा, तथा रुपये 2,00,000/- (अक्षरी दो लाख रु.) एफ.डी. के रूप में देय होगा. एफ.डी. के ब्याज का स्वरूप मासिक ब्याज के रूप में (मासिक आय योजना M.I.S.), होगा. (श्रमिक के जीवित रहने पर श्रमिक को लाभ की पात्रता एवं सिलिकोसिस बीमारी से मृत्यु होने पर उनके वैध आश्रितों को लाभ की पात्रता होगी.)

2. **पुनर्वास सहायता :—** सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक एवं उनके आश्रित परिवारजन को मंडल की अन्य सभी योजनाओं का लाभ भी दिया जावेगा, बशर्ते वो उन योजनाओं की पात्रताओं को पूर्ण करते हों.

(घ.) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. आवेदक/आवेदिका द्वारा स्वयं अथवा पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में श्रमिक के आश्रित द्वारा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी, कार्यालय में स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन जमा किये जा सकेंगे अथवा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल मुख्यालय, को भी सूचित किया जा सकता है.

2. सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में आवेदन मृतक श्रमिक के आश्रित (माता/पिता/पत्नि/पति/नाबालिग पुत्र/पुत्री) द्वारा भी स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन किया जा सकेगा.

3. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में आवेदन भेजने हेतु आवेदन के साथ जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी का अनुशंसा पत्र एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जिसमें श्रमिक में सिलिकोसिस होने की पुष्टि की गई हो संलग्न होंगे.

4. योजना के तहत् ऑफलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :—

4.1 जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि हितग्राही मंडल अंतर्गत अधिसूचित प्रवर्ग में पंजीकृत हो तो.)

4.2 सिलिकोसिस से पीड़ित श्रमिक का आधार कार्ड (यदि जीवित हो तो) अथवा मृत्यु की स्थिति में उत्तराधिकारी/आश्रित का आधार कार्ड.

4.3 सिलिकोसिस बीमारी की पुष्टि के संबंध में सक्षम चिकित्सक (योजना के पात्रता के सरल क्र. 2 अनुसार) द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति.

4.4 बैंक पास बुक (हितग्राही के जीवित होने की दशा में) अथवा मृत्यु की दशा में (नॉमिनी/वैद्य उत्तराधिकारी/आश्रित) का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें संबंधित का नाम, बैंक खाता क्रमांक, व आई.एफ.एस.सी. कोड अंकित हो.) की प्रति.

4.5 सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित श्रमिक के मृत्यु होने की दशा में मृत्यु प्रमाण पत्र.

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर हितग्राही द्वारा मूल दस्तावेज जांच/सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जावेगा.

टीप :— संबंधित सत्यापनकर्ता/जांचकर्ता द्वारा हितग्राही से ऑफलाईन के माध्यम से प्राप्त आवेदन के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

(ङ) **स्वीकृति का अधिकार :—**

1. पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा सत्यापन उपरांत आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

(च.) **आवेदन प्रकरणों का निराकरण :—**

1. योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निराकरण 30 कार्य दिवस के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा. यदि आवेदन तकनीकी तौर पर अस्वीकृत किया जाता है तो उसका कारण लिखित में आवेदक के पास भेजा जावेगा तथा आवेदन अस्वीकार होने की स्थिति में त्रुटि सुधार कर निरंतरता में पुनः आवेदन किये जाने का आवेदक को अधिकार होगा.

(छ.) **भुगतान की प्रक्रिया :—**

1. योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक के खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जावेगा.

(ज.) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(झ.) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्रमांक/41/04/योजना/बीओसी/2022/134.— भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2010/16 दिनांक 09-06-2020 के कण्डिका (घ) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (2) में निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित करती है :—

योजना का नाम :— "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना"

(घ) **योजना की पात्रता :—**

(2) निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होना चाहिए को अतिक्रमित करते हुए,

"निर्माण श्रमिक का हिताधिकारी के रूप में भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत न्यूनतम 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है." (अर्थात हिताधिकारी के मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में मृत्यु/दिव्यांगता तिथि के 90 दिवस पूर्व का पंजीयन होना अनिवार्य है)

(शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी.)

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जनवरी 2023

क्रमांक/54/04/योजना/बीओसी/2022/135.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/54/04/योजना/बीओसी/2022/120 दिनांक 12-05-2022 के कण्डिका (घ.) योजना में देय हितलाभ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना :—

(घ.) **योजना में देय हितलाभ :—**

(2). इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि रु. 10,000/- (अक्षरी दस हजार रु.) सहायता राशि एकमुश्त देय होगी को अधिक्रमित करते हुए

"इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि रु. 20,000/- (अक्षरी बीस हजार रु.) सहायता राशि एकमुश्त देय होगी."

उक्त योजना में संशोधन अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2023

क्रमांक/75/04/योजना/बीओसी/2023/136.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—**इस योजना का उद्देश्य छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं अथवा उनके आश्रित संतानों/दत्तक संतानों जो कि प्रतिभाशाली होने के बावजूद आर्थिक सहायता के अभाव में प्रतियोगी परिक्षाओं को पूर्ण करने में असमर्थ होते हैं उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से प्रवेश प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने हेतु कोचिंग उपलब्ध कराकर उनके जीवन स्तर में सामाजिक श्रेणीगत परिवर्तन के अवसर उपलब्ध कराना और सशक्त बनाया जाकर समाज की विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है. (टीप-संतान से अभिप्राय आश्रित संतान एवं दत्तक संतान से है एवं हितग्राही से अभिप्राय पंजीकृत श्रमिक/पंजीकृत श्रमिक के संतान जो योजनांतर्गत नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजनांतर्गत शैक्षणिक योग्यता रखता हो)

(ग) **योजना का प्रावधान :—**

1. मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं उनके संतानों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे-PSC (लोक सेवा आयोग), CG VYAPAM (छ.ग. व्यावसायिक परीक्षा मंडल), SSC (कर्मचारी चयन आयोग), IBPS (बैंकिंग), RAILWAY (रेल्वे), POLICE ENTRANCE (पुलिस भर्ती परीक्षा) के अंतर्गत समय-समय पर जारी होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु न्यूनतम 04 से अधिकतम 10 माह तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार नि:शुल्क कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा.

2. यह सहायता वर्ष में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी, पंजीकृत श्रमिक एवं उनके संतानों द्वारा मंडल अंतर्गत चयनित किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् उक्त योजना का लाभ दोबारा प्रदाय नहीं होगा.

3. हितग्राही नि:शुल्क कोचिंग सहायता योजना हेतु अधिकतम 01 बार ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगा.

4. हितग्राही द्वारा स्वयं परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् वह निर्माण श्रमिक की श्रेणी से उसका पंजीयन स्वत: ही समाप्त हो जावेगा.

5. मंडल द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष में प्रतियोगी परीक्षाओं के कोचिंग हेतु प्रतियोगिता परीक्षावार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप उक्त योजनांतर्गत आवेदन स्वीकृत किया जाकर नि:शुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जावेगी.

(घ) **योजनांतर्गत देय हितलाभ :—**

1. योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को मंडल द्वारा प्रतियोगी परिक्षाओं हेतु चयनित कोचिंग संस्थानों के माध्यम से कोचिंग का अवसर प्रदान किया जावेगा.

2. लाभार्थियों की कोचिंग सेंटर्स में अथवा ऑनलाईन कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, यदि वे प्रत्येक माह में 15 दिवस से अधिक अनुपस्थित पाये जाते हैं तो वे योजनांतर्गत लाभ से स्वत: हटा दिये जायेंगे.

(ड.) **योजना की पात्रता :—**

1. मंडल में पंजीकृत श्रमिक की एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है.

2. योजना के तहत् पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके प्रथम दो संतानों को ही योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

3. पंजीकृत श्रमिक अथवा उनके संतान संबंधित प्रतियोगी परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता रखता/रखती हो योजनांतर्गत पात्र होंगे.

4. श्रमिक के बच्चों/प्रशिक्षार्थियों की आयु सीमा निर्धारण हेतु पात्रता छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप हो.

(च) **योजना का संचालन :—**

1. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रूची की अभिव्यक्ति का प्रकाशन कर शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार मंडल स्तर पर पात्र एवं योग्य कोचिंग संस्थानों का चयन कर शासन के अनुमोदन पश्चात् मंडल स्तर पर कार्यादेश जारी किया जावेगा.

2. छत्तीसगढ़ शासन, द्वारा मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों को शासन के निर्देशवत प्रशिक्षण संस्थानों को भी चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जावेगी.

3. चयनित संस्थाओं द्वारा कक्षाएं 05 संभागीय मुख्यालयों में ऑफलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी तथा शेष जिलों हेतु ऑनलाईन कक्षाएं आयोजित की जाएगी.

4. चयनित संस्थान द्वारा योजनांतर्गत प्राप्त आवेदनों का शासन द्वारा निर्धारित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा हेतु तय मापदण्ड अनुसार काउंसलिंग के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार किया जाकर संबंधित क्षेत्राधिकारिता के मैदानी जिला श्रम कार्यालयों को उपलब्ध करावेंगे. जिस आधार पर संबंधित क्षेत्राधिकारिता के स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदनों की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.

5. मोबाईल एप्लीकेशन के द्वारा दैनिक लाइव क्लासेस दी जाएंगी तथा रिकार्डेड विडियों उपलब्ध कराए जाएंगे.

6. **अध्ययन सामग्री —** पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं उनके संतानों द्वारा आवेदित परीक्षा के पाठ्यक्रम अनुरूप हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराए जाएंगे.

7. **शंका समाधान —** मासिक शंका समाधान कक्षाएं संभागीय मुख्यालय में आयोजित की जाएंगी साथ ही दिन में 16 घंटे कॉल सेंटर (समाधान हेतु) की सुविधा उपलब्ध होगी.

8. रूची की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्थानों का सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग/श्रमायुक्त/सचिव छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा गठित समिति/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर उपरोक्त संस्थान को निरीक्षण किया जा सकेगा.

(छ) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे.

2. आवेदक स्वयं/किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

3. छात्र/छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई के संबंध में इस संदर्भ में कोचिंग के मुखिया द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है.

4. **योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :—**

4.1 हितग्राही की जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल स्कैन प्रति.

4.2 हितग्राही के आधार कार्ड की प्रति.

4.3 हितग्राही के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक सूची की प्रति.

4.4 हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति.

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

5. स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जांच/सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा.

(ज) **स्वीकृति का अधिकार :—** पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(झ) **भुगतान की प्रक्रिया :—** योजनांतर्गत रूची की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्थान को प्रति हितग्राही प्रतियोगिता परीक्षावार निर्धारित दर पर होने वाले का व्यय संबंधित संस्थान को भुगतान किया जावेगा.

(ञ) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—** योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

(ट) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 1 मार्च 2023

क्रमांक/80/04/योजना/बीओसी/2023/137.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—**इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनके बेहतर जीवन-यापन करने हेतु स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण अथवा नवीन आवास क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता दिया जाना है.

(ग) **योजना का प्रावधान :—**

1. छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत गत् 03 वर्ष से निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

2. हितग्राही द्वारा ऋण (लोन) स्वीकृति के दिनांक से 06 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा.

3. योजना का लाभ पूरे जीवन काल में एक बार ही देय होगा.

(घ) **योजना का उद्देश्य :—**मंडल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय के लिए वित्तीय संस्थान अथवा बैंक से लिये गये ऋण (लोन) हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि या राशि रुपये 50,000/- तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में देय होगा.

(ड.) **योजना की पात्रता :—**

1. मंडल के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे श्रमिक जिनकी मंडल के अंतर्गत निरंतर 03 वर्ष पूर्व का जीवित पंजीयन हो.

2. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसी भी स्थान पर स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों के नाम से आवास ना हो.

3. पति व पत्नी दोनों के मंडल में पंजीकृत हितग्राही होने की स्थिति में योजना के तहत् केवल एक ही हितग्राही को आवास के लिए अनुवृत्ति (सब्सिडी) प्राप्त हो सकेगा.

4. योजना अंतर्गत मंडल में पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण/नवीन आवास क्रय हेतु शहरीय क्षेत्रों में 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल का अधिकतम भू-खंड होना चाहिए.

5. आवेदक द्वारा भू-खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र (पट्टा)/प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू-अधिकार पत्र (पट्टा)/मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पट्टा) के आधार पर प्राप्त आवास निर्माण के अंतर्गत भी योजना हेतु आवेदन किया जा सकेगा.

6. आवास निर्माण/क्रय के लिए चयनित भूखंड संपत्ति विवादास्पद नहीं होना चाहिए.

7. यदि पंजीकृत श्रमिक के पास स्वयं की भूमि/क्रय किये जा रहे नवीन आवास के लिए छत्तीसगढ़ शासन के संबंधित विभाग (नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत) से भूमि व्यपवर्तन/भवन अनुज्ञा/पंचायत से अनुशंसा/अनुमति प्रदाय किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र.

टीप :— यदि हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी मिथ्या/कूटरचित पाए जाने पर योजना अंतर्गत लाभ की राशि मंडल को वापसी योग्य होगी, जिसकी भू-राजस्व के नियम अंतर्गत वसूली की जा सकेगी.

8. योजना अंतर्गत आवेदक के परिवार से आशय है—
   - आवेदक स्वयं, पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार
   - पत्नी अथवा पति (यथा स्थिती अनुसार)
   - आश्रित पुत्र
   - अविवाहित पुत्री या विधवा/परित्यक्ता आश्रित पुत्री
   - आश्रित माता एवं पिता

(च) **योजना आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज :—**

1. हितग्राही के आवेदन की तिथि के पूर्व में 01 वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया होने का नियोजक प्रमाण-पत्र की मूल स्कैन प्रति.

2. आवेदक द्वारा वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा आवास ऋण स्वीकृति पत्र की मूल स्कैन प्रति.

3. ऋण प्रदाता वित्तीय संस्थान/बैंक के द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना संबंधी पत्रक.

4. आवेदित भूखंड का खसरा, नक्शा, बी-वन अथवा भू-खंड शासकीय पट्टा यथा वन अधिकार मान्यता पत्र (पट्टा)/प्रचलित आबादी क्षेत्र में भू अधिकार पत्र (पट्टा)/मुख्यमंत्री आबादी भू अधिकार पत्र (पट्टा) का मूल स्कैन प्रति.

5. आधार कार्ड (जो मोबाईल नंबर से लिंक हो) की मूल स्कैन प्रति.

6. हितग्राही द्वारा कंडिका (ड.) के उप कंडिका (2) में लिखित कथन के संबंध में स्वघोषणा पत्र की मूल स्कैन प्रति.

(छ) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे.

2. आवेदक स्वयं/श्रमेव जयते मोबाइल एप/ऑनलाईन विभागीय पोर्टल https://cglabour.nic.in/संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय अथवा किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

3. जांचकर्ता/स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा.

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर आनलाइन अपलोड किया जाना अनिवार्य है.

(ज) **जांच स्वीकृति का अधिकार :—**

1. **जांचकर्ता अधिकारी —** योजना के आवेदन की जांच संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक/श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम कल्याण निरीक्षक द्वारा आवेदनों की जांच की जावेगी.

2. **स्वीकृतकर्ता अधिकारी —** पात्रता की जांच के उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी के द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(झ) **भुगतान की प्रक्रिया :—**आवेदन के स्वीकृति उपरांत योजनांतर्गत देय अनुदान राशि आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से श्रमिक के ऋण खाता (लोक अकाउंट) में हस्तांतरित की जावेगी.

(ञ) **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण :—**योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि अन्य कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उस स्थिति में सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा.

(ट) **योजना का प्रभावशीलन :—** यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

सविता मिश्रा,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 87/Confdl./2023/II-3-1/2023.—The following Civil Judges (Entry Level), as mentiond in column No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed to the post of Senior Civil Judge and consequently are posted at the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office (s) :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Girish Pal Singh, I Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
2.	Smt. Manju Lata Sinha, I Civil Judge Class-II.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	I Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
3.	Smt. Barkha Rani Verma, Civil Judge Class-II.	Kartala	Kartala	Korba	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I, Korba at Kartala.
4.	Shri Gulapan Ram Yadav, II Civil Judge Class-II.	Raigarh	Raigarh	Raigarh	II Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
5.	Ku. Amita Jaiswal, Civil Judge Class-II.	Bhilai-3	Bhilai-3	Durg	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-I.

Bilaspur, the 1st March 2023

No. 89/Confdl./2023/II-3-1/2023.—The following candidate as mentioned in Column No. (2), appointed on probation as Civil Judge (Entry Level) in the Cadre of Chhattisgarh Lower Judicial Service by the State Government, is posted in the capacity as metioned against her name in Column No. (3) of the table below with a direction

to take over charge on or before 17-03-2023 :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	Posted as (3)
1.	Ku. Palak Singhai, D/o Shri Anand Singhai	III Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class-II, Ambikapur.

Bilaspur, the 20th March 2023

No. 349/Confdl./2023/II-2-99/2001 (Pt.-III).—On the basis of application of Shri Bhupendra Kumar Vasnikar, Member of Lower Judicial Service, presently posted as I Civil Judge Class-I & C.J.M. and Judge, Virtual Court, Raipur requesting for change of his home district, permission is hereby accorded to change his home district as "Kondagaon" instead of "Bastar (Jagdalpur)". He is directed that he shall not be entitiled to change his home district again in future.

Bilaspur, the 23rd March 2023

No. 3551/Checker/III-6-1/2007 (Pt. I).— In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Ku. Ankita Agrawal, J.M.S.C., Raigarh	Raigarh	Raigarh
2.	Ku. Pranjali Netam, J.M.S.C., Raigarh	Raigarh	
3.	Ku. Shweta Thakur, J.M.S.C., Raigarh	Raigarh	
4.	Shri Praveen Kujur, J.M.S.C., Surajpur	Surajpur	Surajpur
5.	Shri Puneet Tigga, J.M.S.C., Surajpur	Surajpur	
6.	Shri Ajay Lakra, J.M.S.C., Surajpur	Surajpur	

Bilaspur, the 23rd March 2023

No. 3553/III-6-3/2023 (Virtual Courts).— The Chief Judicial Megistrate (CJM) of Durg, Surguja at Ambikapur, Bilaspur and Bastar at Jagdalpur are nominated to work as Judge of the Virtual Court in addition to their own work at their respective District for hearing of traffic challan cases with immediate effect.

Bilaspur, the 31st March 2023

No. 539/Confdl./2023/II-1-1/2023.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. F. No. K-13016/01/2023-US.II dated 24-03-2023 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, (Appointments Division), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Ramesh Sinha, Judge of the Allahabad High Court has assumed charge of office of the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh on 29th March, 2023 at 06.30 P.M.

Bilaspur, the 11th April 2023

No.798/Confdl./2023/II-2-99/2001 (Pt.-IV).— On the basis of application of Smt. Swarnlata Om Yadav, Member of Lower Judicial Service, presently posted as II Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Baloda-bazar at Bhatapara requesting for change of her home district, permission is hereby accorded to change her home district as "Bilaspur" instead of "Raipur". She is directed that she shall not be entitled to change her home district again in future.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General.

Bilaspur, the 5th April 2023

No. 33/L.G./2023/II-3-7/2005.—Shri Ramjivan Dewangan, Judge, Family Court, Mahasamund is hereby, granted earned leave for 02 days on 28-11-2022 & 29-11-2022 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 26-11-2022 till before the Court hours of 30-11-2022, earned leave for 02 days on 26-12-2022 & 27-12-2022 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 24-12-2022 till before the Court hours of 28-12-2022, earned leave for 05 days from 28-01-2023 to 01-02-2023 along with permission to remain out of headquarters after the office hours of 27-01-2023 till before the office hours of 02-02-2023 and earned leave for 10 days from 13-03-2023 to 22-03-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 10-03-2023 till before the Court hours of 23-03-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dewangan, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 151 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 5th April 2023

No. 34/L.G./2023/II-2-26/2017.—Smt. shraddha Shukla Sharma, III Additional Principal Judge, Family Court, Durg is hereby, granted child care leave for 15 days from 20-02-2023 to 06-03-2023.

During the period of child care leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 705 days of child care leave are remaining in her leave account as on date.

Bilaspur, the 5th April 2023

No. 35/L.G./2023/II-2-36/2022.—Shri Lokesh Patle, Administrative Officer, Chhattisgarh State Judicial Academy, High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 20-03-2023 to 24-03-2023 along with permission to leave headquarters after working hours of 17-03-2023 till 24-03-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Patle, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 135 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक 267/दो-3-14/2014.—कु. संघरत्ना भतपहरी, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), बिलासपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-03-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्रमांक 268/दो-3-7/2018.—श्री गोविन्द नारायण जांगड़े, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूरजपुर (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 06-03-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2019 से 31-10-2021 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,
बजट अधिकारी.